फर्द अहकाम

(नियम 26)

[redacted]त .... मुकाम .... [illegible]

भागीरथ .... बनाम .... सिरदारा आदि

किस्म मुकदमा .... [illegible] धारा 88-53 नं. .... 88/18 .... सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
9-5-18 भागीरथ पहचान कर्ता [redacted] Adv.	आज यह वाद जरिये वकील वादी के द्वारा लोक अदालत कोर्ट केम्प खेडा में पेश किया गया। रिपोर्ट सिगेदार होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी 5 ता 10 के राजीनामा पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल मिसल है। प्रतिवादी 6-11 नोटिस का जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी के PW1 भागीरथ के ब्यान कलमबद्ध किये गये। अन्य साक्ष्य वादी नहीं करवाना चाहते है। साक्ष्य वादी बन्द की जाती है। बहस सुनी गई। वाद वादी डिक्री किया जाकर निर्णय जेरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सदस्य लोक अदालत भादरा सदस्य लोक अदालत भादरा अध्यक्ष लोक अदालत भादरा कम्प खेडा	अ.नि. सिरदारा गीता Sohanlal राधेश्याम अ.नि. छगनी अ.नि. शान्ति देवी अ.नि. ललिता अ.नि. भागवती सुरेन्द्रसिंह मैना पहचान कर्ता अध्यक्ष

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.**

उनवान

1. भागीरथ पुत्र रिछपाल जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. लिछमा पत्नी स्व. बंशीलाल जाति मेघवाल (मेघवंशी) निवासी शेरड़ा तहसील भादरा
2. सुरेन्द्रसिंह
3. सोहनलाल
4. मैना
5. गीता

(2 से 5) पि0 बंशीलाल जाति मेघवाल (मेघवंशी) नि0 शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

6. राधेश्याम
7. सावत्री
8. शान्ति देवी
9. लीलो देवी
10. मायावती

(6 से 10) पि0 रिछपाल जाति मेघवाल (मेघवंशी) नि0 शेरड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।

दावा बाबत :– घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन

मुकदमा नम्बर :– 88/18

निर्णय दिनांक :– **09.05.2018**

वादी की ओर से श्री दिवानसिंह एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादीगण स्वयं की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09.05.2018 को मुझ **राजकुमार कस्वा** सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि :–

रोही मौजा बीबीपुर के खाता सं0 87/88 के खसरा सं0 130 की 3.2250 है0 बारानी कृषि भूमि में वादी भागीरथ 1/3 हिस्सा का, प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 3 क्रमशः लिछमा, सुरेन्द्रसिंह व सोहनलाल संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा के तथा प्रतिवादी सं0 6 राधेश्याम को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुरूप वाद भूमि से रिछपाल पुत्र ठाकर का नाम कलमजन किया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद भूमि के खसरा सं0 130 की 1.075 है0 प्रतिवादी सं0 6 राधेश्याम का, खसरा सं0 130/1 की 1.075 है0 प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 क्रमशः लिछमा, सुरेन्द्रसिंह व सोहनलाल का तथा खसरा सं0 130/2 की 1.075 है0 वादी भागीरथ को खाता व माल अलग से कायम कर कब्जा संभलाया जावे तथा वादभूमि के उतरी हिस्सा में सींव के चपते 1–1 गठठा का रास्ता का अंकन किया जावे। चूंकि प्रतिवादीया सं. 7 ता 10 ने उपरोक्त कृषि भूमि में से अपने हिस्से की 1/7–1/7 हिस्सा कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी नं. 6 व मृतक भाई बंशीलाल के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दी है व प्रतिवादिया सं0 4 व.5 ने अपना हक व हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व रिकार्ड में अमल कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय व डिक्री आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर (हनु.)

राजकुमार कस्वा

सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक